

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाडमेर
पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रियंका कडेला (आर.ए.एस.)
अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण
1 भूपाराम 2 नवलाराम
3 रुखमीचन्द 4
मांगीलाल 5 गणेशीलाल
पिसरान तगाराम 6
धापूदेवी पत्नी तगाराम 7
धनाराम 8 वीरचन्द
पिसरान मालाराम 9
सीतादेवी पत्नी मालाराम
10 मुल्लानमल पुत्र राजू
जाति सोनी निवासी
रावतसर तहसील व
जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 हेमाराम पुत्र पेमाराम फौत के कायम मुकाम 1/1 पुखराज 1/2
खेताराम पिसरान हेमाराम 1/3 दलुदेवी पत्नी हेमाराम 2 चुताराम
3 गणेशीलाल पिसरान पेमाराम 4 राधादेवी पत्नी पेमाराम जाति
सोनी निवासी सिणधरी 5 भंवरलाल पुत्र भूराराम जाति सोनी
निवासी रावतसर 6 बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति सोनी निवासी
चौहटन 7 ओमप्रकाश 8 शंकरलाल पिसरान भूराराम 9 रूपादेवी
पत्नी भूराराम 10 हीराराम 11 जवाराराम 12 गोपीलाल पिसरान
गुमनाराम 13 चन्दूदेवी पत्नी गुमनाराम जाति सोनी निवासी
रावतसर 14 मिश्राराम पुत्र कोहलाराम जाति सोनी निवासी सिणधरी
15 गंगाराम 16 मांगा 17 गोपाराम पिसरान तुलछाराम 18 रूपा 19
गुणेश पिसरान मेहरा जाति सोनी निवासी रावतसर तहसील
बाडमेर ग्रामीण 20 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण 21 शाखा प्रबन्धक
बाडमेर सैन्ट्रल कॉ-ओपरेटिव बैंक शाखा सिणधरी।

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 40/2019

निर्णय दिनांक :- 02/06/15

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या की उपस्थिति में इस

वाद में आज तारीख 02/06/15 को सुश्री प्रियंका कडेला, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद खस्वीकार किया जाकर मौजा रावतसर पश्चिम पटवार हल्का रावतसर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 434 रकबा 12.19 बीघा, खसरा संख्या 1004 रकबा 22.17 बीघा तथा खसरा संख्या 505 रकबा 00.04 बीघा कुल रकबा 36.00 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 से 06 का 1/12 हिस्सा, वादी संख्या 07 से 09 का 1/12 हिस्सा व वादी संख्या 10 का 1/12 हिस्सा खातेदारी का एवं मौजा रावतसर पश्चिम पटवार हल्का रावतसर तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 506 रकबा 0.05 बीघा सम्पूर्ण रकबा वादीगण की खातेदारी में घोषित की जाती है तथा खसरा संख्या 507 रकबा 99.03 बीघा भूमि में 1/2 + 1/8 अर्थात् 49.11 + 12.08 = 61.19 बीघा भूमि वादीगण की खातेदारी खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 02/06/15 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Prin
(प्रियंका कडेला)
पीठासीन अधिकारी
सुश्री प्रियंका कडेला
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

वाद के खर्च

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्सप
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामिल	
जोड़	जोड़